

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 03/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि.(अ).- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीन जनवादी गणराज्य, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, कोरिया जनवादी गणराज्य और थाईलैंड में उद्भूत या से निर्यातित और भारत में आयातित उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की टैरिफ मद 2917 36 00 के अधीन आने वाले "प्युरीफाइड टैरेष्यैलिक एसिड" जिसके अंतर्गत "मध्यम, क्वालिटी टैरेष्यैलिक एसिड" और "क्वालीफाइड टैरेष्यैलिक एसिड" के प्रकार भी हैं, पर अधिरोपित प्रतिपाटित शुल्क का प्रतिसंहरण करती है और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाएँ जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी सा.का.नि. संख्यांक द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थीं उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, का विखंडन करती है, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं०	अधिसूचना संख्यांक	सा.का.नि. संख्यांक
(1)	(2)	(3)
1.	28/2016-सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 5 जुलाई, 2016	664(अ) तारीख 5 जुलाई, 2016।
2.	28/2019- सीमाशुल्क (एडीडी), तारीख 24 जुलाई, 2019	524(अ) तारीख 24 जुलाई, 2019।

[फा.सं. 334/2/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार